पत्रांक:- भवन/बजट–28-योजना-07/2006-07.....145 (ज)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:- 06.01.2026

विषय:- सामान्य प्रशासन विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु **वित्तीय वर्ष 2025-26** में कुल-**34,42,74,387/-** **(चौतीस करोड़ बयालीस लाख चौहत्तर हजार तीन सौ सतासी रूपये)**मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- **स्वीकृत।**

कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में **सामान्य प्रशासन विभाग** की योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल-**34,42,74,387/-(चौतीस करोड़ बयालीस लाख चौहत्तर हजार तीन सौ सतासी रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति **वित्तीय वर्ष 2025-26** में प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई०डी०	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, गया जी	27559	राज्य योजना स्कीम के अंतर्गत Construction of Administrative Training Institute & Bihar Rural Development Institute at Gaya, Phase-II के निर्माण कार्य	355/ 05.01. 23	1,52,88,274/- (एक करोड़ बावन लाख अठासी हजार दो सौ चौहत्तर रूपये)
2	भवन प्रमंडल, गया जी	28243	राज्य योजना स्कीम के अंतर्गत प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, गया का आवंटित नई भूमि की चहारदीवारी, शॉपिंग कॉमप्लेक्स भवन (G+2) का निर्माण कार्य	19619/ 04.11.22	36,83,330/- (छत्तीस लाख तेरासी हजार तीन सौ तीस रूपये)
3	गर्दनीबाग भवन प्रमंडल, पटना	28511	Construction of Administrative Training Institute (G+7 & above) & Bihar Rural Development Institute at WALMI, BIPARD, Patna for the year 2023-24	9160/ 15.05.23	32,53,02,783/- (बत्तीस करोड़ तिरेपन लाख दो हजार सात सौ तेरासी रूपये)
			कुल योग:-		**34,42,74,387/-**

(चौतीस करोड़ बयालीस लाख चौहत्तर हजार तीन सौ सतासी रूपये)

2. उक्त कार्य पर राशि व्यय–मांग संख्या-03 भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य भवन लघु शीर्ष-051-निर्माण-उपशीर्ष-0124- बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान(बिपार्ड) विपत्र कोड-03-4059600510124 के विषय शीर्ष-53-मुख्य कार्य-0124.53.01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपबंधित से राशि वर्त्तमान **वित्तीय वर्ष 2025-26** में किया जाएगा।
3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार, बिहार से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एंव सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

6/1/26

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 145 (ज) **पटना, दिनांक:-** 06.01.2026

प्रतिलिपि:-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, गया एवं पटना /कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार,बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/1/26

सरकार के अपर सचिव।